न्यायालय अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा

पी0ए0 केश नं0– 08/22–23

वसीम अंसारी बनाम् रैयान मौजा–तेतरिया

–: आदेश :–

11.03.2023

वर्तमान वाद आवेदकगण वसीम अंसारी, पे0–स्व0 मु0 गुलाम अंसारी, शमीम अंसारी, पे0–सफिरूद्धीन अंसारी, दोनों सा0–धनकुण्डा, थाना व अंचल–महागामा, जिला–गोड्डा एवं कुदरत अंसारी, पे0–शरियतुल्ला, सा0–तेतरिया, थाना व अंचल–महागामा, जिला–गोड्डा के आवेदन पर संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम, 1949 की धारा–06 के तहत् मौजा– तेतरिया नं0–709 के ग्राम प्रधान बहाली हेतु प्रक्रिया प्रारंभ किया गया है।

आवेदकगण के विज्ञ अधिवक्ता को सुना एवं अभिलेख में संलग्न कागजात का अवलोकन किया।

अंचल अधिकारी, महागामा ने अपने पत्रांक–55/रा0, दिनांक–11.01.2023, पत्रांक–262/रा0 एवं पत्रांक–263/रा0, दिनांक–21.02.2023 से जांच प्रतिवेदन समर्पित किया है। उक्त प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया है कि आवेदक वसीम अंसारी, मौजा–तेतरिया के पूर्व प्रधान स्व0 मो0 सफीरूद्धीन अंसारी के पोता हैं। उक्त के आलोक में आवेदक वसीम अंसारी को प्रासंगिक मौजा–तेतरिया के प्रधानी पद पर नियुक्त करने हेतु अनुशंसा की गई है। आवेदक कुदरत अंसारी का पूर्व प्रधान के साथ कोई संबंध नहीं है। साथ ही आवेदक शमीम अंसारी व इब्राहिम अंसारी व तमीजुद्धीन अंसारी व सद्दाम अंसारी, चारों पे0–स्व0 सफिरूद्धीन अंसारी (पूर्व प्रधान) के द्वारा शपथ पत्र सं0–33934, दिनांक–29.12.2022 के माध्यम से आवेदक वसीम अंसारी को प्रधानी पद पर नियुक्ति हेतु अपनी सहमति प्रदान की गई है।

शमीम अंसारी द्वारा न्यायालय में शपथ पत्र के माध्यम से प्रदान की गई अनापत्ति से इन्कार किया गया। स्थल जांच के क्रम में पाया गया कि आवेदक वसीम अंसारी को पूर्व प्रधान की पत्नी मो0 अलगुन निशा एवं इनके तीन अन्य पुत्र क्रमशः इब्राहिम अंसारी व तमीजुद्धीन अंसारी व सद्दाम अंसारी का समर्थन प्राप्त है। आवेदक शमीम अंसारी को पूर्व प्रधान के किसी भी वंशज का समर्थन प्राप्त नहीं है। पूर्व प्रधान के तीन अन्य पुत्र ने शपथ पत्र में आवेदक वसीम अंसारी के पक्ष में दी गई अनापत्ति की पुष्टि भी की है।

आवेदक वसीम अंसारी के आवेदन के विरूद्ध उक्त मौजा के 16 आना रैयत से किसी भी प्रकार का आपत्ति प्राप्त नहीं होने तथा आवेदक उक्त मौजा के पूर्व प्रधान स्व0 मो0 सफीरूद्धीन अंसारी के पोता होने एवं अंचल अधिकारी, महागामा से प्राप्त जांच प्रतिवेदन के आधार पर संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम, 1949 की धारा–6 के तहत् मौजा–तेतरिया नं0–709 का प्रधान आवेदक वसीम अंसारी को नियुक्त किया जाता है।

अतः नवनियुक्त प्रधान वसीम अंसारी को आदेश दिया जाता है कि उक्त मौजा का वार्षिक खजाना कोषागार में जमाकर चालान की प्रति के साथ संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम, 1949 की धारा–7 के तहत् कबूलियत और जमानत दाखिल कर पट्टा प्राप्त करेंगे। अंचल अधिकारी, महागामा को सूचित करें।

लेखापित एवं संशोधित।

ह0 11.03.23

अनुमंडल पदाधिकारी,
महागामा।

ह0 11.03.23

अनुमंडल पदाधिकारी,
महागामा।

Seen
03/04/23

Seen
3/4/23

Seen
3/4/2023

Digitally signed by Saurabh Kumar Bhuwania
Date: 2023.04.10 15:13:52 +05:30
Location: 192.168.223.157

Scanned with OKEN Scanner